अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 30/2015(RCMS No. 2015/00013) अनवान् जसमेल सिंह पुत्र गन्डा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. जोध सिंह पुत्र जसमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ग्रेवाल ढाणी 3 वाई हाल निवासी 9087–147 स्ट्रीट 2 बलदीश कौर पत्नी जोध सिंह जाति जटसिख

10.02.2020

अपीलार्थी जसमेंल सिंह पुत्र गन्डा सिह स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी जोध सिह पुत्र जसमेल सिंह एवं बलदीश कौर पत्नी जोध सिंह को जारी नोटिस दिनांक 17.03.2015 के अनुसार ये कनाड़ा में निवास करते है। अपीलार्थी जसमेल सिंह पुत्र गन्डा सिंह दिनांक 01.04.2015 से आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए तथा न ही अप्रार्थीगण उपस्थित हुए है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

अपीलार्थी जसमेल सिंह उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 22.01.2015 के विरूद्ध वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम, 2007 की धारा 5 सपठित धारा 23 वरिष्ठ नागरिक के तहत प्रस्तुत कर भरण पोषाण राशि 10,000/– रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर ने अपने प्रकरण संख्या 32/2014 अनवान् जसमेल सिंह बनाम जोध सिंह आदि निर्णय दिनांक 22.01.2015 में निम्न आदेश पारित किया गया है :

> हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किय। प्रार्थी ने प्रार्थना में अप्रार्थी संख्या 2 के हक में करवाये गये दानपत्र को निरस्त कर कब्जा दिलाने व भरण पोषण हेतु 10,000/– प्रति माह दिलाये जाने का निवेदन किया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी अपनी पुत्रवधु से भरणपोषण की मांग नहीं कर सकता है। प्रार्थी ने दानपत्र से अपनी उक्त भूमि अपनी पुत्रवधु को पंजीकृत दस्तावेज से दी है, पंजीकृत दस्तावेज को निरसत करने का अधिकार सीविल न्यायालय को है। अगर यह भूमि दान पत्र से शर्त के साथ अपन

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पुत्र को दी होती तो उसे भरणपोषण अधिनियम के अन्तर्गत निरस्त की जा सकती थी। भरणपोषण हेतु 10,000/– प्रति माह ही मांग की है। प्रार्थी के तीन पुत्र है जिसमें एक पुत्र फौत हो चुका है दूसरा हरदेव सिंह है जिसके साथ जसमेल सिंह स्वयं रहता है। अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं मानता है कि वह भरणपोषण हेतु अपने हिस्से की राशि देने को तैयार है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी की सेवा नहीं करता है। प्रार्थी ने अपने पुत्र से आर्थिक सहायता हेतु मांग की है। वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण अधिनियम 2007 की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत अप्रार्थी , प्रार्थी को 5000/– (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) आदेश की तिथि से भरणपोषण हेतु को अदा करेगा। ये राशि अप्रार्थी संख्या 01 को चैक/ड्राफ्ट/नगद प्रार्थी को भिजवायें। प्रार्थी को अप्रार्थी किसी प्रकार से तंग व परेशान नहीं करेंगे। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

-sd-
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील जसमेल सिंह पुत्र गन्डा सिंह द्वारा अपने पुत्र जोध सिंह एवं बलदीश कौर पत्नी जोध सिंह जो कि प्रार्थी की पुत्रवधु है, के विरूद्ध यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 22.01.2015 के विरूद्ध पेश की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को 5000/– रूपये प्रति माह की भरण पोषण राशि प्रार्थी को दिये जाने के आदेश दिये थे। अपीलार्थी एवं अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस प्रकरण में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील इसी स्तर पर खारिज करने योग्य है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 22.01.2015 यथावत् रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर